भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *296
12.07.2019 को उत्तर के लिए

जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन

***296. श्री रेबती त्रीपुरा:**
श्री संतोष कुमार:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विद्यमान जैव विविधता अधिनियम, 2002 का संशोधन करने का विचार है ताकि निकट भविष्य में विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए इसे और अधिक जनहितैषी और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) उपरोक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों हेतु समयावधि क्या है?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

****

'जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन' के संबंध में श्री रेबती त्रीपुरा और श्री संतोष कुमार द्वारा शुक्रवार दिनांक 12.07.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *296 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ) जैव-विविधता कन्वेंशन, जिसमें भारत एक पक्षकार देश है, के अनुसरण में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया गया जिसका उद्देश्य जैव-विविधता का संरक्षण, उसके घटकों का वहनीय उपयोग, और इनमें संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों की निष्पक्ष तथा समान साझेदारी करना है, जिसे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस) भी कहा जाता है। यह अधिनियम

पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पूरे भारत में लागू है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम में राज्य सरकारों के लिए अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियम बनाने का प्रावधान किया गया है।

इस अधिनियम को तीन स्तरीय संस्थागत तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एनबीए), राज्य स्तर पर राज्य जैव-विविधता बोर्ड और स्थानीय निकाय स्तर पर जैव-विविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत, जैव-विविधता नियम 2004 में अधिसूचित किये गए थे और एनबीए द्वारा एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग संबंधी दिशानिर्देश 2014 मे अधिसूचित किए गए थे। अब तक प्राप्त अनुभव और हितधारकों के परामर्श के आधार पर एनबीए एबीए दिशानिर्देशों में पुन: संशोधन कर रहा है। इस प्रयोजन हेतु गठित समिति द्वारा तैयार किए गए एबीएस दिशानिर्देशों का प्रारूप जनसाधारण की टिप्पणियों के लिए दिनांक 24.4.2019 को एनबीए की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था। उठाए जाने वाले अगले कदमों में प्राप्त की गई टिप्पणियों की जांच, हितधारकों के साथ परामर्श और अपेक्षित अनुमोदन शामिल हैं। एबीएस से संबंधित दिशानिर्देश एक वर्ष के भीतर अधिसूचित होने की संभावना है।

****